उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या- 1/471/11-5-2013-312(352)/2009

लखनऊ : दिनांक: 17 फरवरी, 2014

**कार्यालय-आदेश**

श्री श्रवण कुमार पुरवार, तत्कालीन उप निबन्धक, आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानुपर देहात को जनपद आगरा में तैनाती के दौरान की गयी अनियमितता हेतु शासन के कार्यालय आदेश सं0 1317/11-5-2012-312(352)/2009 दिनांक 21.11.2012 द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि दी गयी थी, जिसे विलोपित किये जाने हेतु श्री पुरवार द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 10-12-2012 शासन को प्रस्तुत किया गया है ।

2 श्री पुरवार तत्कालीन उप निबन्धक आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानपुर देहात के आगरा में कार्यरत रहते हुए की गयी अनिमितताओं के लिये उनके विरूद्ध कार्यालय आदेश सं0 1718/11-5-2010 312(352)/2009 दिनांक 27-04-2010 अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी तथा जांच हेतु अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्र0) गाजियाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 21-02-2012 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। जाचं अधिकारी ने श्री पुरवार के विरूद्ध आरोप 2,4 व 5 पूर्ण रूप से सिद्ध पाये एवं आरोप सं0 3 आशिक रूप से सिद्ध पाया गया। जांच अधिकारी की जाचं आख्या पर श्री पुरवार का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। उन्होने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया कि उन्हें इसी प्रकरण में महानिरीक्षक निबन्धन ने वर्ष 1996 में दण्डित किया जा चुका था। अत: उन्हें दुबारा दण्डित न करने के सिद्धान्त के आधार पर दण्ड न किया जाय।

3- श्री पुरवार के इस कथन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि निर्देश याचिका सं0-1227/2000 में मा0 लोक सेवा अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 07-03-2003 द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन के दण्डादेश को निरस्त करते हुए पुन: जांच कराने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी हैा फलत: श्री पुरवार को निम्न दण्ड दिया गया।

" श्री श्रवण कुमार पुरवार तत्कालीन उपनिबन्धक आगरा सम्प्रति सहायक महानिरीक्षक निबन्धन /सहायक आयुक्त स्टाम्प कानुपर देहात को उनके उपनिबन्धक प्रथम आगरा के कार्यकाल 1995-96 में पक्षकारों से दुरभिसंधि करके लेखपत्र जैसे प्रथम पृष्ठ एवं अन्तिम पृष्ठ पर पृथक शब्दों जैसे प्रथम पृष्ठ पर मुख्तारनामा आम परिवर्तन एवं अन्तिम प्रस्तर में अपरिवर्तन लिखकर राजस्व क्षति पहुंचाने संबंधी अनियमितताओं के लिए परिनिन्दित किया जाता है। "

4- श्री पुरवार द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 10-12-2012 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुख्तारनामें के प्रथम पृष्ठ पर कहीं भी अपरिवर्तनीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया केवल अन्तिम पृष्ठ पर ireevocable शब्द लिखने मात्र से विलेख पर conveyance की तरह स्टाम्प देयता निर्धारित नहीं की जा सकती हैा इस संबंध में में उनके द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लेख करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि निरस्त करने का अनुरोध किया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम -1899 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्टाम्प देयता विलेख पर होती है, चूंकि विलेख में मुख्तारनामा विलेख को ireevocable होने का उल्लेख किया गया है। अत: विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनूसूची 1(ख) के अनुच्छेद 48 (इइ) के अनुसार हस्तारण विलेख की भांति स्टाम्प शुल्क देय होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में सूच्य है कि श्री पुरवार के विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण में दुबारा जांच मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका सं0 1227/2000 में पारित आदेश दिनांक 07-03-2003 के क्रम में प्रारम्भ की गयी है ।

6- मा0 लोक सेवा अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 07-03-2003 द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा दिये गये दण्डादेश दिनांक 19-11-1996 को निरस्त कर दिया गया हैा अत: शासन द्वारा दिये गये दण्ड को दुबारा दण्डित न किये जाने के सिद्धान्त पर दण्ड न देने (double jeopardy) के सिद्धान्त के विरूद्ध कहा जाना नितान्त ही असत्य हैा शासन द्वारा विचारोपरान्त श्री पुरवार के विरूद्ध सिद्ध पाये गये आरोपों के दृष्टिगत उनके विरूद्ध पारित दण्डादेश को विलोपित किये जाने का औचित्य /आधार नहीं पाया गया है।

7- अतएव उक्त तथ्यों के द्रष्टिगत तत्कालीन तत्कालीन उपनिबन्धक आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानपुर देहात का प्रत्यावेदन दिनांक 10-12-2012 को एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

बी0एम0मीना
प्रमुख सचिव

संख्या- 471/11-5-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
(2) श्री श्रवण कुमार पुरवार, तत्कालीन उप निबन्धक सम्प्रति सेवा निवृत्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानुपर देहात द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0शिविर कार्यालय, लखनऊ।
(3) गार्ड बुक

**ह0**

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

http://shasanadeshup.nic.in